न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमन्द

(डॉ0 भंवर लाल, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 121/2012

दायर दिनांक 23.10.2012

निर्णय दिनांकः 01.03.2024

अनवान् मुकदमा

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, राजसमन्द

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री नारायण पिता चम्पालाल तेली, निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द
2. श्री जीतमल पिता रूगनाथ माली निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द मृतक
   2/1 भंवरलाल पिता जीतमल निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द
   2/2 उदयलाल पिता जीतमल निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द
   2/3 मांगीलाल पिता जीतमल निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमन्द
   2/4 सोहनीबाई पुत्री जीतमल पत्नि मांगीलाल माली निवासी नान्देस्मा तह. गोगुन्दा जिला उदयपुर
   2/5 लेहरीबाई पुत्री जीतमल पत्नि प्रितम माली निवासी लालबाग तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
   2/6 बाबुबाई पुत्री जीतमल पत्नि प्यारचन्द्र माली निवासी खमनोर तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

—— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :

1– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता।

2– श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01

3– श्री सम्पत लाल लडढ़ा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 02 के वारिसान की ओर से

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, राजसमन्द ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केलवा तहसील राजसमन्द में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1570,1571,1572,1573,1574 रकबा क्रमशः 1.15, 1.13, 0.14, 1.04, 1.14 किस्म पेटा व नाला अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि भूमि अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है।

मेवाड़ सेटलमेन्ट की नकल जमाबन्दी सम्वत् 1982 में भी इसका मूल खसरा नम्बर 815 रकबा 9.15 बीघा किस्म नाला व रास्ता दर्ज रेकार्ड भूमि थी। इस प्रकार अप्रार्थी के खाते अंकित भूमि मूलतः मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान भी किस्म नाला दर्ज रेकार्ड भूमि थी एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि आवंटन/नियमन में प्रतिबन्धित होने से इसमें खातेदारी अधिकार देय नहीं है। D.B.Civil Writ Petition No. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 के अनुसार भी ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने के

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निर्देश हैं। अतः अप्रार्थी के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नाला भूमि होने से अप्रार्थी के नाम से निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकीन किस्म नाला दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत को दर्ज कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि आराजी नं. 1570, 1571, 1572, 1573 व 1574 विपक्षी नारायण पिता चम्पालाल तेली के नाम पर 1/3 हिस्सा से एवं भँवरलाल, उदयलाल, मांगीलाल, सोहनी, लेहरी, बाबुबाई पिता जीतमल, खेमीबाई बेवा जीतमल 2/3 से खातेदारी से दर्ज है। जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट संवत् 1999 देखने से स्पष्ट है कि साबिक आराजी नं. 815 रकबा 9.75 बीघा भूमि में से नाला नहीं निकला हुआ था। गत पैमाइश में भी नाला नहीं था एवं पैमाइश आराजी नं. 1574 को छोड़कर अन्य आराजी में मक्की, गेहूँ, रचका इत्यादि फसले हो रही थी एवं आराजी नं 1574 बीड़ के रूप में था किन्तु गलती/सहवन से आराजी नं. 1570 से 1574 की किस्म नाला लिख दी गई, जो रेकार्ड पर मौजुद त्रुटि है। मेवाड़ सेटलमेन्ट के समय से आज दिन तक उक्त आराजी नं 1570 से 1574 तक में कभी नाला नहीं रहा। यदि नाला होता तो पैमाइश के समय व उसके पूर्व न तो खेती होती न खेती रेकर्ड में दर्ज की जाती न अभी खेती होती। जमाबन्दी मेवाड़ सेटलमेन्ट संवत् 1999 को देखने से स्पष्ट है कि साबिक आराजी नं. 815 की किस्म कभी भी नाला–नाडी, नाडा–नदी, नहीं रही है वरम् नाला के रूप में साबिक आराजी नं. 195, 2135 दर्ज थी किन्तु गलती से साबिक आराजी न. 815/1 मी, को नाला बताया गया है जो रेकर्ड को देखने मात्र से प्रतीत हो रहा है। मेवाड सेटलमेन्ट की जमाबन्दी में आराजी नं. 815/1 नाला के रूप में अंकित नहीं रही है। वरन् नाला के रूप में आराजी नं. 32 व 113 अंकित रही है। यदि वास्तव में नाला होता या नाला की जमीन होती तो आवंटन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। आराजी नं. 815/1 रकबा 3.5 कभी भी नाला की जमीन नहीं रही। आराजी नं. 1570, 1571, 1572, 1573, 1574 का 1/3 हिस्सा जीतमल पिता रूगनाथ जी ने मोहन पिता किशन जी माली से 15.6.2000 को रजिस्टर्ड विक्रय पंत्र से क्रय किया। रेफरेन्स की कार्यवाही धारा 88 L- R- Act में नहीं की जा सकती है, कानूनन् ही मामला निरस्त योग्य है, वादग्रस्त भूमियाँ आलरेडी विपक्षीगण के खातेदारी हक से अंकित है, इस कारण आवंटन/नियमन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है एवं न ही यहाँ ऐसा कोई प्रश्न विनिश्चय हेतु ही है। मेवाड़ सेटलमेन्ट के समय विवादित भूमियों की किस्म नाला नहीं थी एवं गत सेटलमेन्ट के समय भी विवादित भूमियों की किस्म नाला नहीं थी, इसी कारण पैमाइश अधिकारियों ने आराजी नं. 1570, 1571, 1572, 1573 में मक्की, गेहूँ, रचका की फसल होना लिखा है, यदि नाला होता या नाला के रूप में भूमि प्रयुक्त होती तो खेती कैस की जाती। अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में ऐसे कोई आदेश नहीं है कि खातेदारी अधिकारों को निरस्त कर दिया जाए वह भी रेकर्ड पर विद्यमान त्रुटिपूर्ण स्थिति के, जो सम्भव नहीं है। यह मामला अब्दुल रहमान प्रकरण से गवर्न नहीं होता है। अब्दुल रहमान प्रकरण में 2/8/2004 का आदेश अन्तरीम था, जो अब प्रभावी नहीं रहा है एवं मूल प्रकरण ही फैसल हो चुका है। और अन्तरीम आदेश इन्फ्रक्चस हो चुका है। गत पैमाइश में साबिक आराजी नं. 815/1 को गलत रूपेण नाला दर्शाया है, क्योंकि मेवाड़ सेटलमेन्ट

में 815/1 नाला के रूप में नहीं था वरन् साबिक आराजी नं. 32 एवं 113 नाला के रूप में अंकित थी एवं इसी कारण साबिक आराजी नं. 815/1 में गत पैमाइश के समय मक्का, गेहूँ, रचका इत्यादि फसले हुई जो पैमाइश अधिकारीयों ने खसरा मिलान में भी उल्लेख कर रखा है, यदि नाला होता तो फसलें होना सम्भव ही नहीं था। अतः प्रार्थी की याचिका निरस्त की जावें।

पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता ने बहस कथन में निवेदन किया है कि ग्राम केलवा तहसील राजसमन्द में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1570,1571,1572,1573,1574 रकबा क्रमशः 1.15, 1.13, 0.14, 1.04, 1.14 किस्म पेटा व नाला अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी के खाते अंकित भूमि मूलतः मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान भी किस्म नाला दर्ज रेकार्ड भूमि थी इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नाला बिलानाम गैर मुमकिन श्रेणी की भूमि है तथा न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से तलब की गई मौका एवं राजस्व रेकार्ड की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2017 से भी यह प्रमाणित है कि मौके पर उक्त भूमि में पानी भरा हुआ हैं। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/ 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों अर्थात् राजस्व स्वामित्व के जल प्रवाह एवं जल संग्रहण की खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों व नदी नाला आदि की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। यदि ऐसी भूमियों पर निजी खातेदारी दर्ज है तो उक्त कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा, 88 एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। अतः धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों पर दी गयी निजी खातेदारी निरस्त की जानी चाहिए। अतः उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम से हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नाला दर्ज करवायी जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को मामला प्रेषित करने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रर्थीगण ने अपने बहस कथन में जवाब में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि याचिका में वर्णित भूमि अप्रार्थी के नाम पर खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त भूमि के साबिक नम्बर 815/1 मी. होकर पैमाइस के समय फसल दर्ज थी तथा मवाड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट की जमाबन्दी देखने से स्पष्ट है कि साबिक आराजी नम्बर 815 में नाला निकला हुआ नही था वरन नाले के रूप में साबिक आराजी संख्या 195, 2135 दर्ज थें। नाले के रूप में आराजी संख्या 32 व 113 अंकित रही हैं। अप्रार्थीगण द्वारा मोहन पिता कृष्णा जी माली से दिनांक 15.06.200 को 1/3 हिस्सा क्रय किया हैं। अब्दुल रहमान के मामले में ऐसा कोई आदेश नही है कि खातेदारी निरस्त की जावें। विपक्षी संख्या 01 की ओर से भी इन्ही तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि 1947 के पूर्व से विपक्षी संख्या 01 के पूर्वाधिकारी की रही हैं। इसलिए रेफरेन्स का मामला नही बनता हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। मेवाड़ सेटलमेन्ट की नकल जमाबन्दी सम्वत् 1982 में भी इसका मूल खसरा नम्बर 815 रकबा 09.15 बीघा किस्म नाला 9.00 बीघा एवं रास्ता 0.15 बीघा दर्ज रेकार्ड भूमि थी। जबकि

न्यायालय जिला कलक्टर

रेकार्ड से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नाला एवं पेटा भूमि है, जिस पर गैर खातेदारी /खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अप्रार्थी कानूनन् अधिकारिता नहीं रखती है। न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से तलब की गई मौका एवं राजस्व रेकार्ड की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2017 से भी यह प्रमाणित है कि मौके पर उक्त भूमि में पानी भरा हुआ हैं। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों नदी, नाला, नाली आदि के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में 1947 से पूर्व खातेदारी अधिकार होना जाहीर करते हुए रेफरेन्स का मामला नही बनने का तर्क दिया है लेकिन अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त भूमि अप्रार्थी व उसके पूर्व अधिकारी की सन् 1947 से पूर्व खातेदारी अधिकार की रही हों। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिबन्धित भूमियॉ होने से अप्रार्थी के नाम पर दर्ज निजी खातेदारी कानूनन् निरस्त किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम केलवा तहसील राजसमन्द में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1570,1571,1572,1573,1574 रकबा क्रमशः 1.15, 1.13, 0.14, 1.04, 1.14 किस्म पेटा व नाला अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को अप्रार्थी के नाम से हटाकर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म नदी राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की दुरुस्ती के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

Bullo

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांकः 01.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Bullo

(डॉ0 भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)